क्या प्रक्रिया होगी आदि?	जारी किये गये नवीन अनुज्ञा पत्र या नवीनीकरण किये गये अनुज्ञा पत्र का विवरण, अनुज्ञा पत्र धारी का नाम, अनुज्ञा पत्र में उल्लेखित शस्त्रों का विवरण एवं प्रभारित की गई स्टाम्प ड्यूटी का विवरण होना चाहिए ताकि भविष्य में लेखों की जॉच कराने में आसानी हो।
11. क्या जमा की गई स्टाम्प ड्यूटी का अंकन अनुज्ञा पत्र में किया जायेगा?	जमा कराई गई स्टाम्प ड्यूटी का अंकन पंजिका के साथ–साथ अनुज्ञा पत्र में भी किया जाना चाहिए।
12. आर्म्स डीलर्स को जारी अनुज्ञा पत्र एवं नवीनीकरण पर भी स्टाम्प ड्यूटी देय है अथवा नहीं?	आर्म्स डीलर्स को जारी अनुज्ञा पत्र एवं उसके नवीनीकरण पर भी उपरोक्त प्रावधान अनुसार स्टाम्प ड्यूटी प्रभार्य है।

इस संबंध में किसी भी भ्रांति अथवा कठिनाई का निवारण करने हेतु कृपया संबंधित कलक्टर (मुद्रांक) अथवा निम्न हस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।

सादर,

भवदीय

(के.बी.गुप्ता)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: एफ–7(39)जन/2015/ 1919-31 दिनांक: 8/4/15

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
3. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान। कृपया आप अपने वृत्त के समस्त जिला कलक्टर्स/पुलिस आयुक्त से व्यक्तिशः मिलकर उचित स्टाम्प ड्यूटी का प्रदाय सुनिश्चित करें।
4. उप निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय अजमेर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

	ammunitions on following Forms as set out in Schedule III to the Arms Rules, 1962:-	
	(v) Form XI	3000/-
	(vi) Form XII	3000/-
	(vii) Form XIII	2000/-
	(viii) Form XIV	1000/-
2. शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने/नवीनीकरण करने के संबंध में ली जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी राजस्व की किस मद में जमा कराई जानी है? पूर्ण मद उपलब्ध करावें।	शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने/नवीनीकरण करने के संबंध में ली जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी की राशि राजस्व मद "0030-02-103 -01-00" दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना में जमा करवाई जानी है।	
3. शस्त्र लाईसेन्सों के अनुज्ञा पत्र पर देय स्टाम्प ड्यूटी की राशि शस्त्र लाईसेन्स के नवीनीकरण पर देय फीस 0055 हैड (055-00-103-01-00-वाहन/हथियार प्रशिक्षण) के अतिरिक्त ली जानी है या नहीं?	स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 के उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत किया जाना है। इस प्रकार स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान (0030 हैड) में किया जाना है जो कि नवीनीकरण फीस (0055 हैड) के अतिरिक्त देय है।	
4. स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किस प्रकार किया जाना है?	स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान भौतिक स्टाम्प, ई-स्टाम्प, फ्रैंकिंग के द्वारा या ई-ग्रास चालान, डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे-ऑर्डर के माध्यम से किया जा सकता है।	
5. उक्त स्टाम्प ड्यूटी किस दिनांक से प्रभावी है?	यह स्टाम्प ड्यूटी दिनांक 09.03.15 से प्रभावी है।	
6. ऐसे शस्त्र लाईसेंसी जिन्हें दिनांक 09.03.15 से पूर्व नया शस्त्र लाईसेंस जारी किया गया है, परन्तु उसने यदि अनुज्ञेय शस्त्र अभी क्रय नहीं किया है तथा उसके द्वारा दिनांक 09.03.15 के बाद शस्त्र क्रय कर प्रस्तुत करने पर क्या उक्त दरों से स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जानी है?	राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची में नया आर्टिकल-35ए जोड़कर शस्त्र लाईसेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान दिनांक 0903.15 से किया गया है। 09.03.15 से पूर्व जारी अनुज्ञा पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं है। शस्त्र बाद में कय करने पर भी इस स्थिति अन्तर नहीं आऐगा।	
7. ऐसे शस्त्र लाईसेंसी जिनके पास एक अनुज्ञप्ति में एक से अधिक दो या तीन शस्त्र दर्ज है तो क्या प्रत्येक शस्त्र के लिये अलग-अलग स्टाम्प ड्यूटी वसूली की जानी है तथा जिनके शस्त्र लाईसेंसी में यदि दो या अधिक 12 बोर अथवा पिस्टल है, तो क्या ऐसे एक ही श्रेणी (पिस्टल/12 बोर आदि) के शस्त्रों के लिये उक्त दरों से ही स्टाम्प ड्यूटी वसूली जानी हैं?	आर्टिकल-35ए में शस्त्रों की अलग- अलग श्रेणी पर अलग-अलग दर से स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान किया गया हैं। एक लाईसेंस में यदि एक से अधिक श्रेणी के शस्त्रों का उल्लेख है तो स्टाम्प ड्यूटी लाईसेंस में उल्लेखित शस्त्रों की सभी श्रेणियों के अनुसार पृथक-पृथक संगणित कर प्रभारित की जायेगी।	
8. ऐसे शस्त्र लाईसेंसी जिन्होनें शस्त्र अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र कार्यालय में दिनांक 09.03.15 से पूर्व प्रस्तुत कर दिया गया है, परन्तु इसका नवीनीकरण जांच आदि कराने के बाद दिनांक 09.03.15 के पश्चात् में नवीनीकरण किया गया है/किया जाना है तो क्या ऐसे शस्त्र लाईसेंसियो से भी निर्धारित दरों से स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जानी है?	दिनांक 09.03.15 या उसके पश्चात् किये गये अनुज्ञा पत्रों के नवीनीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी देय है।	
9. शस्त्र लाईसेंस का नवीनीकरण अधिकतम 03 वर्ष के लिये किया जाना है, क्या प्रत्येक बार नवीनीकरण कराये जाने पर शुल्क वसूल किया जाना है।	शस्त्र लाईसेंस के प्रत्येक नवीनीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। तीन वर्ष पश्चात् पुनः नवीनीकरण करने पर स्टाम्प ड्यूटी पुनः देय होगी।	
10. उक्त दरों से स्टाम्प ड्यूटी जमा करने की एवं अभिलेख संधारण की	नवीन अनुज्ञा पत्र जारी करने या नवीनीकरण करने पर प्रभारित की गई स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में पंजिका का संधारण किया जाना चाहिए, जिसमें	

"Kar Bhawan", 2nd floor, Todarmal marg, Ajmer 305001 (Raj.)
Ph : 0145-2627590, 2425105 Fax : 2431002, 2627750 Email igrs@rajasthan.gov.in
Website : http:/igrs.rajasthan.gov.in

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
"कर-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(39)जन / 2015 / 1884 – 1918 दिनांकः 8|4|15

1. समस्त जिला कलक्टर्स,
   राजस्थान।

2. पुलिस आयुक्त,
   जयपुर / जोधपुर।

विषय : राजस्थान वित्त अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में नया अनुच्छेद 35–ए के अन्तर्गत आयुधों या गोला–बारूद से संबंधित नवीन लाईसेन्स जारी करने या उनके नवीनीकरण करने पर किये गये स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधान की पालना करने के संबंध में।

प्रसंग : इस कार्यालय के पत्रांक एफ.7(39)जन / 15 / 1456–1490 दिनांक 11.03.15 एवं 1636–68 दिनांक 19.03.15

महोदय,

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2015 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में नया अनुच्छेद 35–ए जोड़कर आयुधों या गोला–बारूद से संबंधित नवीन लाईसेन्स (व्यक्तियों एवं आर्म्स डीलर्स को) जारी करने या उनके नवीनीकरण करने पर किये गये स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधानों के संबंध में कुछ जिलों के जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस आयुक्त, जोधपुर द्वारा कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इनके द्वारा उठाये गये बिन्दु एवं ऐसे ही अन्य संभावित बिंदुओं (प्रश्नों) के संबंध में प्रावधानों की स्थिति निम्नानुसार प्रेषित है :–

प्रश्न	उत्तर	
1. नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र / नवीनीकरण पर प्रभारित स्टाम्प ड्यूटी की दर क्या हैं तथा वह राजस्थान स्टाम्प एक्ट के किस आर्टिकल के अन्तर्गत प्रभारित की गई है?	**Art.** 35-A. Licence relating to arms or ammunitions that is to say, document evidencing the licence or renewal of licence relating to arms or ammunitions under the provisions of the Arms Act, 1959 (Central Act no. 54 of 1959),- (a) Licence relating to following arms:-	
	(vi) Revolvers or pistols	3000/-
	(vii) Rifles	1500/-
	(viii) DBBL Weapons	1000/-
	(ix) SBBL Weapons	1000/-
	(x) ML Weapons	500/-
	(b) Licence relating to arms or ammunitions on following Forms as set out in Schedule III to the Arms Rules, 1962:-	
	(v) Form XI	10000/-
	(vi) Form XII	10000/-
	(vii) Form XIII	5000/-
	(viii) Form XIV	3000/-
	(c) Renewal of licence relating to following arms:-	
	(vi) Revolvers or pistols	1000/-
	(vii) Rifles	750/-
	(viii) DBBL Weapons	500/-
	(ix) SBBL Weapons	500/-
	(x) ML Weapons	100/-
	(d) Renewal of licence relating to arms or	

"Kar Bhawan", 2nd floor, Todarmal marg, Ajmer 305001 (Raj.)
Ph : 0145-2627590, 2425105 Fax : 2431002, 2627750 Email igrs@rajasthan.gov.in
Website : http:/igrs.rajasthan.gov.in

F7-39-G